

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 767 / 2012

संस्थापित दिनांक 28 / 09 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

मौ, जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. रामजीलाल खटीक पुत्र सामली खटीक
उम्र—45 साल
2. मायाराम पुत्र सामले खटीक उम्र—36
साल
3. नेतराम पुत्र लक्ष्मण खटीक उम्र—30साल
निवासीगण ग्राम रतवा, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 15 / 10 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, तथा 506 बी-2 के अपराध के आरोप है कि दिनांक 26 / 08 / 12 के 9.30 बजे ग्राम रतवा आम गली गोहद में फरियादी व आहत को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मानसिंह व आहत जसौदा, अंगूरी की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत रामौतार को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की व सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत रामवरन की मारपीट कर अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कारित किया

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी व आहतों का आरोपीगण से आपसी राजीनामा हो चुका है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी मान

सिंह ने मय अपन भाई रामौतार, अंगूरी, रामवरन, जसोदा के साथ पुलिस थाना मौ में दिनांक 26/08/12 को उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह वह आज अपने दरवाजे के सामने रामजीलाल चबूतरा बना रहे हैं उसने चबूतरा बनाने से मना किया तो चबूतरा से आम रास्ता बंद हो जावेगा तभी रामजीलाल मादरचोद, बहन चोद की गालियाँ देने लगा उसने गालियाँ देने से मना किया तो रामजीलाल ने उसे लाठी मारी जो बाये हाथ की कोहनी पर लगी एक लाठी फिर मारी जो दाहिने हाथ की कोहनी में लगी मूंदी चोट आई और उसे पटक दिया जिससे दोनों घुटनों में चोटें आई वह चिल्लाया तो उसका भाई रामौतार, रामवरन, ताई अंगूरी माँ जसोदा आई तो नेतराम ने रामौतार के कुल्हाड़ी मारी जो सिर में पीछे लगी मूंदी चोट आई फिर ताई अंगूरी को रामजीलाल ने लाठी मारी बाये बख्खा में लगी मूंदी चोट आई एक फिर लाठी मायाराम ने अंगूरी के सिर में लाठी मारी बाये तरफ लगी मूंदी चोट आई रामजीलाल ने रामवरन के एक लाठी का दूसरा मारा बाई आंख के नीचे लगा सूजन होकर मूंदी चोट है फिर नेतराम ने माँ जसोदा को कुल्हाड़ी मारी जिससे बाये हाथ की कलाई में चोट आई। घटना हरनारायण, गिरवर बघेल ने देखी व बीच बचाव किया जाते समय रामजीलाल मायाराम, नेतराम कह रहे थे कि आज तो बच गये आईन्दा जान से खत्म कर देगे।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ द्वारा अप0क0 181/12 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व आहतों का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 324/34, 325/34 तथा 506 भाग-2 के आरोपो की विरचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 325/34, 506बी में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने सार्वजनिक स्थान सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत रामौतार को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. मान सिंह आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। यह साक्षी घटना का अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है उसका कहना है कि उसका आरोपीगण से विवाद हो गया था आरोपीगण ने उसे गालियाँ दी थी तथा झगडा किया था झगडे में हम सभी को चोटें आई थी ओर घटना की रिपोर्ट उसने की थी जो प्र0पी01 की है पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी02 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा लाठी से मारपीट किये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाडी जैसे घातक हथियार से चोट पहुचाकर उपहति कारित की थी।

9. रामौतार आ0सा02 का कहना है कि उसका आरोपीगण से विवाद हो गया था आरोपीगण ने उसके साथ झगडा कर माँ बहन की गालियाँ दी थी जिसकी रिपोर्ट मान सिंह द्वारा की गई साक्षी के द्वारा कुल्हाडी से चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार से चोट पहुचाकर उपहति कारित की थी।

10. रामवरन आ0सा03 का कहना है कि आरोपीगण से उसका हल्ला फुल्का विवाद हुआ था साक्षी ने घटित अपराध का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है इसलिये साक्षी को अभियोजनद्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाडी से चोट पहुचाकर उपहति कारित की हो। साक्षी के कथनो से धारदार हथियार से चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन नहीं होता है।

11. जसोदा आ0सा04 यह साक्षी घटना में घायल साक्षी है इसका कहना है कि फरियादी मान सिंह उसका लडका है तथा आरोपीगण उसके गांव के है उसका लडका चबूतरा बनाने की बात कर रहा था इसी बातपर आरोपीगण ने उसके लडके की मारपीट कर दी मारपीट लातघूसों से हुई थी। आरोपीगण ने किसी धारदार हथियार से मारपीट नहीं की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछेजाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार कुल्हाडी से चोट पहुचाकर उपहति कारित की थी।

12. श्रीमती अंगूरी आ0सा05 यह साक्षी झगडे में घायल साक्षी

है इसका कहना है कि आरोपीगण उसके गांव के है फरियादी मान सिंह, उसके देवर का लडका है चबूतरा बनने की बात से आरोपीगण ने उसके लडके की मारपीट कर दी मारपीट लातघूसों से हुई थी। किसी धारदार हथियार से उसकी मारपीट नहीं की गई। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की थी।

13. प्रकरण में मान सिंह आ0सा01, रामौतार आ0सा02, रामवरन आ0सा03, जसौदा आ0सा04, अंगूरीबाई आ0सा05 यह सभी साक्षी झगड़े में घायल होकर घटना के अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में धारदार हथियार से मारपीट किये जाने का उल्लेख किया है। लेकिन न्यायालीन कथन में किसी भी साक्षी ने धारदार हथियार से मारपीट किये जाने का समर्थन नहीं किया है प्रकरण में फरियादी एवं आहत पक्ष की ओर से आरोपीगण से आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी व आहतपक्ष द्वारा आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है।

14. मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन एवं साक्षियों पर है झगड़े में मान सिंह आ0सा01, रामौतार आ0सा02, रामवरन आ0सा03, जसौदा आ0सा04, अंगूरीबाई आ0सा05 घायल हुये है जिनके द्वारा ही घटित घटना का समर्थन नहीं किया है ऐसी स्थिति में घटित अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाया जाता है।

15. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित आरोप भा.द. वि. धारा [324/34](#) के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा.द.वि. [धारा 324/34](#) के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

16. प्रकरण मे निराकरण हेतु मुददेमाल नही है।

17. प्रकरण मे धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

18. प्रकरण में पूर्व मे ही आरोपीगण की ओर से धारा 437 द0प्र0स0 के तहत जमानत प्रस्तुत कर दी गई है।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव

दिनांकित कर घोषित किया गया

हस्ता0सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

5 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 767 / 2012